



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 627 राँची, बुधवार,

9 अक्टूबर, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर, 2024

संख्या:-परि0वि0-3(स्था0)-10/2013(खण्ड-II) 1308-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से सेवा प्राप्त श्री संजय कुमार बखला, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-459/20, गृह जिला-लोहरदगा) को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री बखला को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

(2) संख्या:-परि0वि0-3(स्था0)-10/2013(खण्ड-II) 1309-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से सेवा प्राप्त श्री सुधीर प्रकाश, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-286/20, गृह जिला-चतरा) को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रकाश को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

(3) संख्या:-परि0वि0-3(स्था0)-10/2013(खण्ड-II) 1310-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से सेवा प्राप्त श्री गिरिजा शंकर महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-156/20, गृह जिला-जामताड़ा) को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री महतो को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

(4) संख्या:-परि0वि0-3(स्था0)-10/2013(खण्ड-II) 1311-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से सेवा प्राप्त श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-285/20, गृह जिला-पलामू) को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री चौधरी को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के उप सचिव ।
